डीजी परिपत्र संख्या–26/2022

देवेन्द्र सिंह चौहान
आईपीएस

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश
पुलिस मुख्यालय, लखनऊ

दिनांकःसितम्बर 9 ,2022

विषयः क्रिमिनल मिस0 बेल अप्लीकेशन संख्या–56496/2021–विवेक सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के संबंध में।

———

प्रिय महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि उपर्युक्त विषयक मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित क्रिमिनल मिस0 बेल अप्लीकेशन संख्या–56496/2021–विवेक सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा विवेचनाओं में सुधार हेतु अनुपालनार्थ मौखिक निर्देश दिये गये हैं, जो निम्नवत हैंः–

"The Charge Sheet must contain the gist of investigation i.e. the brief narration of material collected during investigation which forms the opinion of Investigating Officer in submitting police report under Section 173(2) Cr.P.C."

मा0 न्यायालय द्वारा दिये गये उक्त निर्देश के क्रम में अपने अधीनस्थ नियुक्त अधिकारियों/थाना प्रभारियों/विवेचकों को यह निर्देशित करें कि वह सी0सी0टी0एन0एस0 साफ्टवेयर में आरोप–पत्र भरते समय सभी सुसंगत तथ्यों यथा–विवेचना के दौरान एकत्र की गयी सामग्री का संक्षिप्त विवरण जो कि दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 173(2) के अन्तर्गत पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करने में जॉच अधिकारी की राय बनाता है जैसे–गवाहों के बयान, मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट तथा अन्य परीक्षण रिपोर्ट, अन्य वैज्ञानिक साक्ष्य इत्यादि का **संक्षिप्त सार (brief narration)केस साफ्टवेयर के IIF-5 के बिन्दु संख्या–16: Brief Facts of the Case** (मामले से संबंधित संक्षिप्त तथ्य तथा निष्कर्ष) में अवश्य अंकित किया जाये।

3. मैं चाहूँगा कि आप मा0 न्यायालय द्वारा दिये गये उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किये जाने हेतु जनपद में नियुक्त राजपत्रित अधिकारियों/थानाध्यक्षों/विवेचनाधिकारियों को इस परिपत्र की प्रति उपलब्ध कराते हुए यह सुनिश्चित करें कि इन निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाये।

भवदीय

(देवेन्द्र सिंह चौहान)
09/9/22

1. पुलिस आयुक्त,
   कमिश्नरेट–लखनऊ/कानपुर/वाराणसी/गौतमबुद्धनगर।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
   प्रभारी जनपद/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. अपर पुलिस महानिदेशक(कानून एवं व्यवस्था), उ0प्र0 लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक(रेलवेज), उ0प्र0 लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक(अभियोजन), उ0प्र0 लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक(तकनीकी सेवाऍ), उ0प्र0 लखनऊ।
5. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
6. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।